संख्या–1843/79 –6–2016

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2016

विषयः–प्रदेश के कतिपय जनपदों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउण्डेशन के माध्यम से संचालित कराने/केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को केन्द्रीयकृत किचेन में पूर्णतः मशीनीकृत, साफ एवं स्वच्छ तरीके से निर्मित पौष्टिक गर्म पका–पकाया भोजन स्कूली बच्चों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से तथा शिक्षकों को शिक्षणेत्तर दायित्वों से मुक्त करने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जनपद–वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, कन्नौज, अम्बेडकर नगर, गाजियाबाद, इटावा, इलाहाबाद, रामपुर, बलिया एवं आजमगढ़ में प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउण्डेशन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन वितरण कार्यक्रम एवं इन जनपदों में केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2– राज्य सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। जनपद में योजना के नोडल अधिकारी जिलाधिकारी होते है।

3– प्रश्नगत स्वैच्छिक संस्था को केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना हेतु उपलब्ध करायी जा रही भूमि नगर निगम/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/जिला प्रशासन आदि के स्वामित्व में होने के दृष्टिगत भूमि स्वामित्व के अनुसार जिलाधिकारी/नगर आयुक्त/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा अथवा शासन द्वारा नामित उप सचिव स्तर/उससे उच्च स्तर के शिक्षा निदेशालय/मण्डल/जनपद स्तर के अधिकारी तथा स्वैच्छिक संस्था के मध्य एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा

4– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा निम्न जनपदों में अक्षयपात्र फाउन्डेशन हेतु केन्द्रीयकृत किचेन के निर्माण के लिए निम्नवत् वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने

का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया :–

जनपद	शासनादेश 28–9–2012 व दिनांक 29–12–2014 निर्गत होने की स्थिति	भूमि आवंटन की स्थिति	केन्द्रीयकृत किचेन से बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने की क्षमता	केन्द्रीय किचेन की स्थापना हेतु अक्षयपात्र संस्था द्वारा प्रस्तुत आगणन
वाराणसी	अनुमति	आवंटित	1.00 लाख	16.9 करोड़
आगरा	अनुमति	आवंटित	1.00 लाख	16.9 करोड़
कानपुर नगर	अनुमति	आवंटित	1.00 लाख	16.9 करोड़
कन्नौज	अनुमति	आवंटित	1.00 लाख	16.9 करोड़
अम्बेडकरनगर	अनुमति	चिन्हांकन पूर्ण	1.00 लाख	16.9 करोड़
गाजियाबाद	अनुमति	चिन्हांकन पूर्ण	1.00 लाख	16.9 करोड़
इटावा	अनुमति	चिन्हिंत होनी है।	1.00 लाख	16.9 करोड़
इलाहाबाद	अनुमति	चिन्हिंत होनी है।	1.00 लाख	16.9 करोड़
			योग	**135.02 करोड़**

5– प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था अक्षयपात्र द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना के संचालन के दृष्टिगत केन्द्रीयकृत किचेन के निर्माण हेतु 01 लाख छात्र/छात्राओं को भोजन उपलब्ध कराने पर अनुमानित लागत धनराशि रू0–16.90 करोड़ प्रति किचेन का आगणन प्रस्तुत किया गया है, जिसका मदवार विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	विवरण	व्यय धनराशि (रू0 में)
1	केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण में सिविल वर्क	57308041
2	केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण में मैकेनिकल वर्क	26740000
3	केन्द्रीयकृत किचेन निर्माण में इलेक्ट्रिकल वर्क	9250000
4	प्रोसेस उपकरण, सभी टेक्सों को सम्मिलित करते हुए	52426526
5	भोजन वितरण वाहन	9361170
6	अन्य व्यय साईट सुपरविजन	1980000
7	जोखिम और कन्टीजेन्सी (2.5 %)	3411864
8	इक्सटरनल पी0एम0सी0 कास्ट (1.85 % सिविल, मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल)	1726014
9	प्री औपरेशन कास्ट, साइट औपरेशन फार 10 मन्थस्, स्टेटयूटोरी सेक्सनस्, लाइजनिंग डाक्यूमिनटेशन (3% प्रोजेक्ट कास्ट)	4814328
10	स्टेटयूटरी पेमेन्ट, डिपासिट टू वैरियस (स्टीमेटेड धनराशि मात्र)	2000000
11	**कुल योग**	**169017943**

6– केन्द्रीयकृत किचेन के निर्माण/स्थापना हेतु अनुमानित धनराशि को प्रयोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से आंकलित कराया गया। प्रयोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा

प्रस्तावित लागत रू0–1690.18 लाख के सापेक्ष रू0–1402.26 लाख की लागत को आंकलित करते हुए प्रस्ताव को व्यय वित्त समिति के सम्मुख रखा गया। व्यय वित्त समिति द्वारा रू0–1690.18 लाख के सापेक्ष रू0–881.48 लाख का अनुमोदन निम्न शर्तो के अधीन दिया गया :–

(1) प्रयोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

(2) प्रशासकीय विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) प्रायोजना के संबंध में मुख्य अभियन्ता (भवन), लोक निर्माण विभाग के पत्रांक–2034जी0/41बी0पी0विंग/2016 दिनांक 27.07.2016 एवं ज्येष्ठ वास्तुविद, लोक निर्माण विभाग के पत्रांक संख्या–158 एस0ए0–3/26एस0ए0–3/16 दिनांक 20.07.2016 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रायोजना का निर्माण स्वयंसेवी संस्था अक्षयपात्र द्वारा किया जायेगा।

(6) प्रायोजना में मैटेरियल हैण्डलिंग एवं फीड कन्वेयर फार राइस एवं दाल, वाटर लेबिल कन्ट्रोलर, आर0ओ0 प्लान्ट, आटोमेटिक कन्वेयर वर्टिकल स्टोरेज रैक, प्रोसेस उपकरण, वेजिटेबिल प्रोसेसिंग उपकरण, राइस दाल सेक्शन, मिस्लेनियस किचेन आइटम, स्टाफ एवं हाईजिन रिलेटेड उपकरण, किचेन हेतु अन्य सर्विस उपकरण, ब्वायलर एवं एसेसरीज, अन्य सेवाओं हेतु प्लान्ट, रोटी सेक्शन से संबंधित उपकरण, वितरण से संबंधित उपकरण हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। यह समिति उक्त कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य स्पेशीफिकेशन एवं लागत के संबंध में परीक्षण कर स्वयं संतुष्ट हो लेगी। प्रायोजना में पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत यथा–मैटेरियल हैण्डलिंग एवं फीड कन्वेयर फार राइस एवं दाल हेतु रू0–28.00 लाख, वाटर लेबिल कन्ट्रोलर हेतु रू0–0.16 लाख, आर0ओ0 प्लान्ट हेतु रू0–20.00 लाख, आटोमेटिक कन्वेयर हेतु रू0–24.00 लाख, वर्टिकल स्टोरेज रैक हेतु रू0–8.00 लाख, प्रोसेस उपकरण हेतु रू0–93.42 लाख, वेजिटेविल प्रोसेसिंग उपकरण हेतु रू0–14.73 लाख, राइस सेक्सन हेतु रू0–36.79 लाख, दाल सेक्शन हेतु रू0–22.15 लाख, मिसलेनियस किचेन आइटम हेतु रू0–12.89 लाख, स्टाफ एवं हाईजिन रिलेटेड उपकरण हेतु रू0– 8.36 लाख , किचेन के अन्य सर्विस उपकरण हेतु रू0–37.97 लाख, ब्वायलर एवं एसेसरीज हेतु रू0–56.60 लाख, अन्य सेवाओं के प्लान्ट हेतु रू0–12.88 लाख, रोटी सेक्शन से संबंधित

उपकरण हेतु रू0–67.20 लाख एवं वितरण से संबंधित उपकरण हेतु रू0–71.32 लाख की सीमा के अन्तर्गत उक्त समिति जो लागत संस्तुत करेगी, उस सीमा तक प्रायोजना की लागत संशोधित समझी जायेगी। प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) प्रायोजना के प्रस्तावित बाट–आउट आइटम्स् यथा–लगेज लिफ्ट, पैसेन्जर लिफ्ट आदि की लागत कोटेशन/बाजार दर के आधार पर है। अतः क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करेगी। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा उनके मेक, माडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अतः निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(8) प्रायोजना में सिविल कार्यो की लागत लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर गठित किया गया है। अतः इस मानकीकरण में कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का संबंधित जनपद के एस0ओ0आर0 पर विस्तृत आगणन का गठन किया जाय एवं विस्तृत आगणन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये जाने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(9) प्रशासकीय विभाग द्वारा इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय, जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध होगी।

7– निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये 08 जनपदों के प्रस्तावों के साथ ही तीन अन्य जनपदों यथा–रामपुर, बलिया एवं आजमगढ़ में भी मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम को अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से संचालित कराये जाने एवं केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः इन तीन जनपदों में भी मध्यान्ह भोजन योजना कार्यक्रम संचालित कराने एवं केन्द्रीयकृत किचेन के निर्माण/स्थापना में वही शर्ते एवं व्यवस्थायें लागू होगी, जो 08 जनपदों हेतु लागू होगी।

8– प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति द्वारा जो धनराशि आंकलित की गई है एवं व्यय वित्त समिति द्वारा उपकरणों आदि मदों को आकलित करने हेतु जिस समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है उसकी संस्तुति के क्रम में धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को शासन द्वारा स्वीकृत करते हुए उनके निर्वतन पर रखी जायेगी।

9– प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना संचालन के दृष्टिगत सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 28.09.2012 एवं 08.11.2012 द्वारा निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी भूमि (Right to usage) पर निर्मित केन्द्रीयकृत

किचेन संस्था को प्रस्तावित एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध पत्र) के अनुसार उक्त किचेन लाइसेन्स पर उपलब्ध करायी जायेगी। किचेन का स्वामित्व पूर्ववत अनुज्ञापक का ही रहेगा अर्थात स्वयं सेवी संस्था को केन्द्रीयकृत किचेन का मात्र उपयोग/उपभोग का अधिकार (Right to usage) होगा। शासनादेश संख्या –1112/79–6–2012–1(2)/2012 दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के प्रस्तर 1(1) में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार सरकार द्वारा स्वयं सेवी संस्था को मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालित करने हेतु केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना की दृष्टिकोण से 02 से 03 एकड़ भूमि 10 वर्ष के लिए ''नामिनल'' दर रू0 1000/– (रूपया एक हजार) प्रतिवर्ष प्रतिएकड़ की दर पर उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका नवीनीकरण पॉच–पॉच वर्षों के लिए कार्य संतोषजनक पाये जाने की स्थिति में किया जा सकेगा। संस्था को उक्त धनराशि लाइसेंस पर भूमि प्राप्त करने से पूर्व एक मुश्त अग्रिम के रूप में जमा करनी होगी। प्रस्तावित एम0ओ0यू0 की अवधि समाप्त होने या एम0ओ0यू0 की शर्तो के उल्लघंन की दशा में प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध करायी गयी केन्द्रीयकृत किचेन अनुज्ञापक को मूलरूप में वापस करनी होगी।

10– ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 तथा संगत शासनादेशों के अधीन की जायेगी। कास्तकारों की निजी भूमि के भू–अर्जन की दशा में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर, पुनर्वासन तथा पुनर्स्थापन लाभ देय होंगे तथा संगत शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अधीन की जायेगी। सीलिंग की भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम–1960 तथा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण नियमावली–1961 के अधीन की जायेगी। भू–दान भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही उत्तर प्रदेश भू–दान यज्ञ अधिनियम–1952 सुसंगत नियमावली व शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार की जायेगी। राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के हस्तांतरण के सम्बन्ध में कार्यवाही सरकारी सम्पत्ति से सम्बन्धित नियमावली तथा संगत शासनादेशों के आलोक में की जायेगी। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्व–विधि/अधिनियमों से विचलन की दशा में राजस्व विभाग को अलग से प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त के क्रम में निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ एवं सम्बन्धित जिलाधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि उक्त नियमों/अधिनियमों/ नियमावलियों में प्राविधानित व्यवस्थाओं का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा राजस्व विधि/अधिनियमों से विचलन की दशा में शासन को अवगत कराते हुए तद्नुसार पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

11– अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से मध्यान्ह भोजन योजना को जनपद–वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, कन्नौज, अम्बेडकर नगर, गाजियाबाद, इटावा, इलाहाबाद, रामपुर, बलिया एवं आजमगढ़ में संचालित/कियान्वित कराये जाने हेतु पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0–394/79–6–06–1(5)/2006दिनांक 17.02.2006, शासनादेश संख्या–435/79–6–2010 दिनांक 24.04.2010, शासनादेश संख्या–1206/79–6–2012 दिनांक 08.11.2012, शासनादेश

सं0–1112/79–6–2012–1 (2)/2012 दिनांक 28. सितम्बर, 2012, शासनादेश दिनांक 29.12.2014, शासनादेश संख्या–541/79–6–15–27/2015 दिनांक 13.08.2015 एवं शासनादेश सं0–742/79–6–2016–1(2)/2012 दिनांक 03.06.2016 व इस संबंध में निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12– यह भी उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना का उपरोक्तानुसार विस्तार एवं संचालन किये जाने हेतु सरकार के पास पूर्व से उपलब्ध भूमि का ही उपयोग किया जायेगा। उपलब्ध करायी जाने वाली भूमि से संबंधित प्रशासकीय विभाग सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर प्रस्ताव बेसिक शिक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे। इसके अतिरिक्त मध्यान्ह भोजन योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार देय धनराशि ही चयनित स्वयं सेवी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। अलग से कोई और धनराशि उपलब्ध कराये जाने की फिलहाल योजना नहीं है।

कृपया उपर्युक्त के क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

23/12/16

(अजय कुमार सिंह)
सचिव

संख्या–1843(1)/79–6–2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/कार्मिक/माध्यमिक शिक्षा/खाद्य एवं रसद/
आवास/ नगर विकास/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
2– मण्डलायुक्त, वाराणसी, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, इलाहाबाद, आजमगढ़ एवं मुरादाबाद।
3– जिलाधिकारी, जनपद–वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, कन्नौज, अम्बेडकर नगर, गाजियाबाद, इटावा, इलाहाबाद, रामपुर, बलिया एवं आजमगढ़।
4– शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) उ0प्र0 लखनऊ।
5– नगर आयुक्त, संबंधित जनपद।
6– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद–वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, कन्नौज, अम्बेडकर नगर, गाजियाबाद, इटावा, इलाहाबाद, रामपुर, बलिया एवं आजमगढ़।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–11 उ0प्र0 शासन।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।